



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

24 भाद्र 1942 (श०)

(सं० पटना 582) पटना, मंगलवार, 15 सितम्बर 2020

गन्ना उद्योग विभाग

आदेश

21 अगस्त 2020

सं० 02/रेगु०-2-800-18/2020-888—बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अधिनियम-1981 की धारा-31(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, उदय कुमार सिंह, ईखायुक्त, बिहार पटना **पेराई सत्र 2020-21 से 2022-23** (तीन वर्षों) के लिए ईखापूर्ति हेतु गन्ना क्षेत्र के ग्रामों को मेसर्स **मझौलिया सुगर इण्डस्ट्रीज प्रा० लि०, मझौलिया, पश्चिम चम्पारण** के साथ **अपरम्परागत** रूप में आरक्षण से संबंधित प्राप्त प्रस्ताव पर सभी संबंधित चीनी मिलों के प्रतिनिधियों, क्षेत्रीय ईख पदाधिकारियों, विभागीय पदाधिकारियों एवं अन्य संबंधितों के समक्ष विडियो कॉन्फ्रेंसिंग (V.C.) के माध्यम से दिनांक-06.08.2020 को सुनवाई की गई।

विभागीय आदेश संख्या-1650 दिनांक-26.09.2017 के माध्यम से पूर्व में पेराई सत्र 2017-18 से 2021-22 तक के लिए पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत 10 ग्रामों को परम्परागत रूप से तथा पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत 109 ग्रामों को अपरम्परागत रूप से पेराई सत्र 2017-18 से 2019-20 (तीन वर्ष) के लिए आरक्षित किया गया है।

अपने क्षेत्र आरक्षण के संबंध में मेसर्स मझौलिया सुगर इण्डस्ट्रीज प्रा० लि०, मझौलिया, पश्चिम चम्पारण के महाप्रबंधक द्वारा बताया गया कि उनके चीनी मिल के लिए मात्र 190 ग्रामों को परम्परागत आरक्षित क्षेत्र पूर्व से गठित है। इसके अतिरिक्त पूर्वी चम्पारण जिला अन्तर्गत 109 ग्राम उन्हें अपरम्परागत रूप में आरक्षित है। उनके चीनी मिल की दैनिक पेराई क्षमता 5000 TCD है। प्रबंधन द्वारा मिल की क्षमता को 7500 TCD तक विस्तारित करने की कार्ययोजना आरम्भ की गयी है। उन्होंने बताया कि पेराई सत्र 2020-21 के लिए उनके चीनी मिल का **Normal Cane Requirement (NCR)** 57.00 लाख निर्धारित हुआ है। उन्होंने बताया कि उनके चीनी मिल को परम्परागत एवं अपरम्परागत रूप से कुल 299 ग्राम ही आरक्षित है, जो पेराई क्षमता के अनुरूप अन्य चीनी मिलों से अपेक्षाकृत ग्रामों की संख्या कम है। उन्होंने बताया कि बाढ़ के कारण उनके आरक्षित क्षेत्र में गन्ने का काफी नुकसान हुआ। उनके द्वारा अपने चीनी मिल की पेराई हेतु न्यूनतम आवश्यकता को पूरा करने के लिए पूर्व से अपरम्परागत रूप में आरक्षित होते आ रहे 109 ग्रामों के अतिरिक्त पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत बगहा चीनी मिल के आरक्षित 5 ग्राम एवं पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत सुगौली चीनी मिल के आरक्षित 26 ग्राम कुल 31 ग्रामों को उनके चीनी मिल के पक्ष में आरक्षित करने हेतु अनुरोध किया गया है।

उन्होंने यह भी बताया कि पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत 5 ग्राम एवं पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत आदापुर अंचल के 7 ग्राम कुल 12 ग्राम पूर्व से पेराई सत्र 2016-17 तक परम्परागत रूप से इनके चीनी मिल को आरक्षित होते रहे हैं।

इनके चीनी मिल को पेराई क्षमता के अनुरूप गन्ने की आवश्यकता की पूर्ति हेतु उक्त 31 ग्रामों को उनके मिल के साथ आरक्षित रखे जाने की आवश्यकता है।

सुनवाई में उपस्थित मेसर्स एच.पी.सी.एल. बायोपयूल्स लि०, इकाई-सुगौली के प्रबंधक द्वारा आरक्षण के उक्त प्रस्ताव का विरोध किया गया तथा बताया कि आदापुर अंचल में पूर्व में **No Cane village** था जिसे सुगौली मिल प्रबंधन द्वारा ईख विकास का कार्यक्रम चलाकर **develop** किया गया है। जिसपर प्रतिवाद करते हुए मझौलिया के महाप्रबंधक द्वारा बताया गया कि आदापुर अंचल के उक्त 7 ग्राम मझौलिया चीनी मिल के समीप है। वहाँ के किसान अपना गन्ना मझौलिया चीनी मिल को आपूर्ति करना चाहते हैं।

सुनवाई के दौरान किसानों, उनके प्रतिनिधियों एवं जनप्रतिनिधियों से प्राप्त सभी अभ्यावेदनों का सूक्ष्मता से अवलोकन किया गया।

संयुक्त क्षेत्रीय विकास परिषद्, पश्चिम चम्पारण के सदस्यों द्वारा अपने मंतव्य से दिनांक— 13.08.2020 को विडियो कॉन्फ्रेंसिंग (V.C.) के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराया गया एवं परिषद के सदस्यों द्वारा इस चीनी मिल के पक्ष में अतिरिक्त ग्रामों को आरक्षित करने का अनुरोध किया गया। क्षेत्र आरक्षण से संबंधित कार्यालय में संधारित अभिलेखों एवं मय नजरी नक्शा का भी अध्ययन किया गया। जिससे स्पष्ट हुआ कि सुगौली चीनी मिल को आरक्षित पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत रामगढ़वा अंचल के 5 ग्राम यथा फुलवरिया (50), धनगढ़वा (53), अहिरौलिया (57), सिसवनिया (63) एवं बंधुबरवा (64) ग्राम मझौलिया चीनी मिल के निरंतरता एवं समीप है।

पेराई सत्र 2019-20 का दिनांक—13.08.2020 तक ईख मूल्य भुगतान 52.82 प्रतिशत है। महाप्रबंधक द्वारा बताया गया कि मिल परिचालन के पूर्व शत-प्रतिशत ईख मूल्य भुगतान कर दिया जायेगा।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में सम्यक विचारोपरान्त और सभी संबंधित पक्षों को सुनने के बाद चीनी मिल के एन.सी.आर. के अनुरूप गन्ने की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए मेसर्स **मझौलिया सुगर इण्डस्ट्रीज प्रा० लि०, मझौलिया, पश्चिम चम्पारण** के पक्ष में **पेराई सत्र 2020-21 से 2022-23** (तीन वर्षों) के लिए पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत 114 ग्रामों को जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट—‘क’** के रूप में दर्शित है, को **अपरम्परागत** रूप से आरक्षित किया जाता है।

लेखापित एवं शुद्धित
उदय कुमार सिंह,
ईखायुक्त।

आदेश से,
उदय कुमार सिंह,
ईखायुक्त।

मेसर्स मझौलिया सुगर इण्डस्ट्रीज प्रा० लि०, मझौलिया, पश्चिम चम्पारण को पेराई सत्र 2020-21 से 2022-23 तक अपरम्परागत रूप से आरक्षित 114 ग्रामों की सूची :-

अनुसूची-“क”

जिला का नाम	प्रखण्ड	क्रमांक	ग्राम का नाम	राजस्व थाना संख्या
पूर्वी चम्पारण	अरेराज	01.	चटिया (उत्तरी भाग)	28
		02.	ममरखा (टोला भैया)	29
		03.	ममरखा	30
		04.	गुजरवलिया	31
		05.	खजूरिया	60
		06.	कमलुआ	61
		07.	दामोदरपुर	62
		08.	सिसवा	63
		09.	होरिल छपरा	64
		10.	पुरन्दरपुर	65
		11.	सिरनी	66
		12.	वेलही	67
		13.	नगदाहा	68
		14.	मिश्रौलिया	69
		15.	बथना	70
		16.	लोकनाथपुर	71
		17.	टोलावन पाण्डेय	72
		18.	सखवाँ	73
		19.	सरैया	74
		20.	चैनपुर	75
		21.	पिपरा	76
		22.	टिकुलिया	77
		23.	परसा	78
		24.	वभनौली	79
		25.	रामपुर छपकहियाँ	80
		26.	कौआहा	81
		27.	मंगूराहा	82
		28.	रढ़िया	83
		29.	राजेपुर	86
		30.	मिश्रौलिया	87
		31.	हरदिया	88
		32.	लौरिया	89
		33.	झखरा	90
		34.	सलहाँ	91
		35.	कोहवरवा	92
		36.	गुरहाँ	93
		37.	इन्दुटोला	94
		38.	भेलानारी	95
		39.	जितवारपुर	96
		40.	मोहम्मदपुर	97
		41.	नवादा, गोविन्दगंज (पश्चिमी भाग)	98
		42.	संग्रामपुर (पश्चिमी भाग)	172
		43.	खजूरिया	141
		44.	बहादुरपुर	101
		45.	जनेरवा	103
पूर्वी चम्पारण	पहाड़पुर	46.	एराजी टिकुलिया	44
		47.	टिकुलिया	45

जिला का नाम	प्रखण्ड	क्रमांक	ग्राम का नाम	राजस्व थाना संख्या
		48.	पहाड़पुर	36
		49.	लखनीपुर	35
		50.	गोवर्धनपुर	58
		51.	गंगा पीपरा	57
		52.	नीरपुर	84
		53.	खैरवा	43
		54.	कोटवा	59
		55.	वरकुरवा	34
		56.	सोनवल अहिरौलिया	37
		57.	इंगलिश	38
		58.	वनकटवा	85
		59.	अमवा निजामत	41
		60.	अमवा	40
		61.	परसौनी	42
		62.	कमाल पीपरा	50
		63.	टिकुलिया	45
		64.	भाजा छापर	47
		65.	बबरईया	48
		66.	वतरवलिया	51
		67.	बनकटवा	85
		68.	रायकररिया	114
	हरसिद्धि	69.	जगदीशपुर	49
		70.	कृत्तपुर	52
		71.	कृत्तपुर टोला इंगलिश	53
		72.	गड्डुपुर	54
		73.	माधोपुर	55
		74.	कृत्तपुर बन्दोवस्तमी मठिया	56
		75.	चरनहिया	106
		76.	कोईशीपाकर	107
		77.	हर्सुआहा	140
		78.	बगहा	112
		79.	रामनगर	143
		80.	विशुनपुर ननकार	144
	पहाड़पुर	81.	नोनिया	1
		82.	रघुनाथपुर	2
		83.	पंडितपुर	3
		84.	लगुनिया	4
		85.	लोकाहॉ	6
		86.	इनारवरवाँ	7
		87.	बनकट	8
		88.	विशुनपुर मटियरवा	9
		89.	वृत्ती टोला	10
		90.	सरैया खास	11
		91.	सरैयाटोला सेनुआर	12
		92.	मंगुराहा	13
		93.	दुधियाँवा	14
		94.	एकडेरवा	15
		95.	अहिरवलिया (सोनवल)	16
		96.	सोनवल सरैया	17
		97.	सरैयाटोला मठिया	18

जिला का नाम	प्रखण्ड	क्रमांक	ग्राम का नाम	राजस्व थाना संख्या
		98.	खैरा चौवे	19
		99.	खैरवा	20
		100.	रकवा मंझरिया	21
		101.	सरहंगी छाप	22
		102.	बलुआ वृत्तिटोला	23
		103.	रेखा सरैया	24
		104.	टोक वरवलिया	25
		105.	भरवलिया	26
		106.	मेझरिया	27
		107.	तेजपुरवा	32
		108.	सोनवल	33
		109.	नौवाडीह	39
	रामगढ़वा	110.	फुलवरिया	50
		111.	धनगढ़वा	53
		112.	अहिरौलिया	57
		113.	सिसवनिया	63
		114.	बंधुबरवा	64

उदय कुमार सिंह,
ईखायुक्त।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 582-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>